छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 548/2006

श्री सर्वजीत सेन,
15–ए, गुरूकुल परिसर,
कालीबाड़ी रोड,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
प्राचार्य,
कमला देवी संगीत महाविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::
(दिनांक 08 मार्च 2007)

श्री सर्वजीत सेन के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18(1) के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर को दिनांक 07–01–2006 को आवेदन पत्र देकर आवेदित प्रपत्र में 04 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। दिनांक 22–03–2006 को प्राचार्य को आयोग के निर्देश पर पत्र दिया गया। प्राचार्य के द्वारा दिनांक 14 एवं 15–07–2006 को जानकारी दी गई, किन्तु जानकारी अपूर्ण थी तथा वहां से प्रारूप में भरकर जानकारी नहीं दी गई थी, साथ ही वर्ष 1985–1986 से वर्ष 1991–1992 के बीच की जानकारी नहीं दी गई। संस्था की बैलेन्स शीट वर्ष 2002–2003 में संस्था की संपत्ति में सभागृह सहित मनोरंजन हाल तथा गर्ल्स हॉस्टल का उल्लेख है, इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2/ अनावेदक जन सूचना अधिकारी, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर को नोटिस दिया गया। प्राचार्य के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर पत्र दिनांक 17–04–2006 को आवेदक को 40 दस्तावेजों की प्रति हेतु 80/– रुपये जमा करने के लिये पत्र भेजा गया, किन्तु उसने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। आवेदक को पुनः दिनांक 26–04–2006 को शुल्क जमा करने हेतु पत्र भेजा गया, फिर भी उनके द्वारा अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया, जबकि आवेदक कॉलेज के परिसर में ही निवास करता है। इसके पश्चात् भी आयोग के निर्देशानुसार आवेदक को दिनांक 14–07–2006 को रजिस्टर्ड डाक से जानकारी प्रेषित की गई। अतः विलम्ब के लिये स्वयं आवेदक उत्तरदायी है। वास्तविकता यह है कि आवेदक के द्वारा जानबूझकर अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया। अनावेदक ने अपने जवाब में यह भी बतलाया कि इसके अतिरिक्त आवेदक कोई जानकारी चाहता है तो नियमानुसार आवेदन कर तथा वांछित शुल्क अदा कर वह जानकारी ले सकता है। आवेदक को कोई भी जानकारी जबरदस्ती नहीं दी गई है। आवेदक ने अपने पत्र में आवेदन–पत्र दिनांक 07–01–2006 का उल्लेख किया है, किन्तु इस पत्र के साथ उसके द्वारा आवेदन शुल्क की कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही चालान नंबर ही प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक ने कंडिकावार मांगे गये प्रपत्र में प्रथम बिन्दु की जानकारी दी है, द्वितीय बिन्दु के संबंध में यह जानकारी दी गई है कि महाविद्यालय की कोई

अचल संपत्ति नहीं है। तृतीय बिन्दु के संबंध में महाविद्यालय के शासी निकाय में नामांकित प्रतिनिधियों के संबंध में जानकारी दी गई है तथा बिन्दु क्रमांक–4 के संबंध में दिनांक 30–11–2004 को आयोजित बैठक के संबंध में मांगी गई जानकारी दी गई। अनावेदक ने आवेदक को भेजे गये पत्र दिनांक 17–04–2006 जो कि अनावेदक ने 18–04–2006 को प्राप्त किया तथा पत्र दिनांक 26–04–2006 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की। दिनांक 14–07–2006 की प्रतिलिपि भी दी गई। आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर में बतलाया कि आयोग के निर्देश पर ही उसे निःशुल्क जानकारी दी गई है। वर्ष 1985–1986 से 2004–2005 तक की जानकारी नहीं दी गई। उसने यह भी बतलाया कि संस्था की अचल संपत्ति के रूप में महाविद्यालय के सभागृह तथा महिला छात्रावास का उल्लेख आडिट रिपोर्ट में किया गया है। जबकि संस्था के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार उसकी कोई अचल संपत्ति नहीं होना बतलाया गया है, जिसके संबंध में अनावेदक ने बतलाया कि सभागृह एवं महिला छात्रावास की संपत्ति वास्तव में समिति की है और समिति के द्वारा ही उसका संधारण होता है। यद्यपि उक्त संपत्ति का उपयोग महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है किन्तु उक्त भवन की भूमि भातखण्डे ललित शिक्षा समिति की है तथा संस्था के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के उपरांत ही उच्च शिक्षा अनुदान द्वारा दी गई राशि से गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है। नगर पालिक निगम आदि को टैक्स भी संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। समिति के द्वारा ही उक्त भवनों का संधारण किया जा रहा है, केवल भवन बनाने के लिये समिति की भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भवन बनाने के लिये राशि महाविद्यालय को दी थी। अतः दी गई जानकारी में कोई विरोधाभास नहीं है।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22–03–2006 के पत्र के संदर्भ में अनावेदक के द्वारा आवेदक को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिये पत्र भी भेजा गया तथा स्मरण भी कराया गया, किन्तु उसके पश्चात् भी आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। आयोग के निर्देश पर आवेदक को निःशुल्क जानकारी अनावेदक संस्था के द्वारा दी गई। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जानकारी दी गई है। संस्था द्वारा अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक अन्य कोई जानकारी चाहता है तो विधिवत् आवेदन देकर तथा अभिलेख शुल्क जमाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रकरण से स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा आवेदक को बिन्दुवार जानकारी दी गई है। जहां तक कमला देवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर की अचल संपत्ति का संबंध है, महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भवन यू0जी0सी0 एवं शासन से अनुदान के आधार पर महाविद्यालय के द्वारा बनाये गये हैं, तथा उनका उपयोग महाविद्यालय करता है साथ ही सभागृह का उपयोग समिति के साथ–साथ जन सामान्य के लिये भी उपयोग होता है। इन भवनों का संरक्षण समिति ही करती है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अचल संपत्ति की जानकारी गलत दी गई है। फिर भी आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में जाँच कर लें तथा अभिलेख में कोई दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक हो तो वह करा ली जावे। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि महाविद्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आवेदक को जानकारी दी गई है। जन सूचना अधिकारी इसके लिये भी सहमत है कि आवेदक यदि चाहें तो विधिवत् आवेदन तथा शुल्क देकर और भी जानकारी चाहते हैं वह ले सकते हैं। जानकारी विलम्ब से देने के लिये अनावेदक दोषी नहीं है क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदक को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिये सूचित किया गया था, किन्तु आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। अनावेदक पर जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी विलम्ब से देने अथवा भ्रामक जानकारी देने का कोई प्रमाण नहीं है, अतः अनावेदक पर अर्थदण्ड

किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। आवेदक यदि कोई और जानकारी चाहता है तो नियमानुसार आवेदन–पत्र तथा अभिलेख शुल्क देकर जन सूचना अधिकारी, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर से प्राप्त कर सकता है।

4/ आवेदक की यह शिकायत उपरोक्त निर्देशों के साथ अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त